बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना
कार्यान्वयन अनुदेश (संशोधित)

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 80–85 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कृषि के लिए सिंचाई एक मुख्य कारक है। गत वर्षों में मॉनसून की अनिश्चितता एवं अल्प वर्षापात की स्थिति के कारण भूजल आधारित सिंचाई पर निर्भरता बढ़ गई है। राज्य में 85–90 प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं। अतः वे सिंचाई साधन विकसित करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। अतः राज्य में कृषि विकास एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुदान आधारित नलकूप कार्यक्रम तैयार किया गया है। जिसके तहत योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से जिलावार किया जाने का लक्ष्य है।

इस योजना में सभी जिलों के सभी प्रखंडों (534) को सम्मिलित किया गया है।

योजना के प्रमुख अवयव – प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत कम गहराई (Shallow-70m. तक) एवं मध्यम गहराई (70m-100m तक) के नलकूप के साथ माँग पर आधारित पम्प सेट के लिए अनुदान का प्रावधान है। योजना के मुख्य अवयव निम्नवत् है :–

(1) 4"–6" व्यास का शैलो नलकूप (स्ट्रेनर सहित)।

(ii) 4"–6" व्यास का 70 मीटर से अधिक गहराई के मध्यम गहराई के नलकूप।

(iii) 2–5 अश्व शक्ति का विद्युत/ डीजल चालित सेन्ट्रीफ्यूगल अथवा सबमर्सिबल पम्प सेट।

अनुदान की दर –

(i) शैलों नलकूप के बोरिंग के लिए 100 रू0 प्रति फीट (328 रू0 प्रति मीटर) की दर से अधिकतम 15,000/ तक।

(ii) मध्यम गहराई के नलकूप के बोरिंग के लिए 182 रु0 प्रति फीट (597 रू0 प्रति मीटर) की दर से अधिकतम 35,000/–।

(iii) सभी प्रकार के मोटर पम्प सेट (सेन्ट्रीफुगल अथवा सबमर्सिबुल मोटर पम्प सेट) के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य का 50 प्रतिशत की दर से अथवा 10000/– रू0 में जो कम हो तक सीमित होगी।

अनुदान हेतु पात्रता –

(i) कृषक प्रगतिशील और इच्छुक हो।

(ii) अनुसूचित जाति के न्यूनतम 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जन जाति के 1 प्रतिशत कृषकों का प्रत्येक जिला मे चयन किया जायेगा। अनुसूचित जनजाति के अनुपलब्ध होने पर यह 1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत में जोड़कर 17 प्रतिशत होगा। इनके अनुदान के लेखा की अलग व्यवस्था रखी जायेगी।

(iii) लघु/ सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(iv) कृषक के पास न्यूनतम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) कृषि योग्य भूमि हो।

(v) एक कृषक को एक ही बोरिंग एवं पम्पसेट के लिए ही अनुदान अनुमान्य होगा।

(क) योजना का प्रचार प्रसार–

योजना का प्रचार–प्रसार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में जनसेवक/कृषि समन्वयक/ पंचायत सेवक/लघु जल संसाधन विभाग के कर्मियों द्वारा किया जायेगा।

(ख) सर्वेक्षण–

- सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयन में GPS Enabled Android based device का इस्तेमाल कर योजना के प्रारंभ से पूर्व, कार्यान्वयन के समय एवं कार्यान्वयन के बाद फोटोग्राफ लिया जायेगा।
- जिला प्रशासन तथा सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड (CGWB) द्वारा जल स्तर के उपलब्ध कराये गए आंकड़े के आधार पर शैलो एवं मध्यम गहराई के नलकूपों के लिए सभी प्रखण्डों का निर्धारण/चयन किया जायेगा।

(ग) **आवेदन की प्राप्ति –**

- **आवेदन लघु जल संसाधन विभाग के Portal पर online किया जायगा जिसके साथ निम्नांकित अभिलेख भी संलग्न करने होंगे–**

i) भू–धारकता प्रमाण पत्र/ अद्यतन रसीद।

ii) प्लॉट पर पहले से कोई बोरिंग उपलब्ध नहीं है इसका प्रमाण–पत्र।

iii) किसी अन्य संस्था से संबंधित नलकूप के लिए वित्तीय सहायता नहीं लेने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र।

iv) आवेदन में आवेदक को बैंक खाता तथा IFSC Code का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(घ) **आवेदन की जाँच एवं स्वीकृति की प्रकिया –**

- कार्यपालक अभियंता अपने सहायक अभियंता/कनीय अभियंता/कृषि समन्वयक/पंचायत प्रतिनिधि से प्रस्तावित स्थल की जाँच करायेंगे।
- कार्यपालक अभियंता 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र एवं स्थल की जाँच करा लेंगे एवं Online ही स्वीकृति दें देंगे। अगर 15 दिनों के अंदर आवेदन पर स्वीकृति नहीं दी जाती है तो आवेदन स्वीकृत माना जायेगा।

(ङ) **योजना का कार्यान्वयन–**

- स्वीकृति के 45 दिनों के अंदर कृषक को बोरिंग गाड़ लेना होगा।
- बोर का चयन एवं निर्माण सामग्रियों का क्रय कृषक स्वंय अपने पसंद से करेंगें। परन्तु सामग्रियों की विशिष्टी भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप एवं आई0एस0आई0 मार्क होना आवश्यक होगा।

(च) **अनुदान भुगतान की प्रकिया–**

- बोरिंग गाड़ने के पश्चात् प्रामणकों के साथ किसान अनुदान भुगतान का दावा Online विभाग के Portal पर करेंगे।
- गाड़े गये बोरिंग की जांच कार्यपालक अभियंता अपने सहायक अभियंता/कनीय अभियंता/कृषि समन्वयक से 15 दिनों के अंदर करा लेंगे। जांच के समय जांच पदाधिकारी का कृषक के साथ Photograph भी Upload करना होगा।
- सामग्रियों की विशिष्टी/ गुणवत्ता निर्धारित मानक का पाए जाने पर वास्तविक गहराई के आधार पर अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
- अनुदान का भुगतान बोरिंग कार्य करने एवं पम्पसेट क्रय के पश्चात् ही किया जायेगा।
- 45 दिनों के अंदर नलकूप नहीं गाड़ने पर स्पष्ट कारण देते हुए Online इसकी सूचना आवेदक को देनी होगी। कृषक को विशिष्टि के अनुरूप कार्य कराने का प्रमाण–पत्र भी देना होगा।
- कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर DBT के माध्यम से भुगतान आवेदक के खाते में कर दिया जायेगा।

(छ) **विभागीय स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा–**

राज्य स्तर पर अनुश्रवण, अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता, प्रमंडल स्तर पर अधीक्षण अभियंता तथा जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंता करेंगे।

धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान राशि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई:–

- भौतिक सत्यापन/ जांच की प्रकिया के दौरान यदि ऐसा पाया जाता है कि कृषक द्वारा गलत सूचना के आधार पर अनुदान प्राप्त किया गया है तो किसान से राशि की वसूली करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए अनुदान राशि की वसूली की जायेगी।

➢ निर्माण सामग्री एवं पम्प सेट की विशिष्टीः–

क0	सामग्री	बी0आई0एस0 मानक
1.	पी0भी0सी0 केसिंग पाईप	आई0एस0:12818 / 1992
2.	पी0भी0सी0 स्टेनर पाईप	आई0एस0: 12818 / 1992
3.	सेन्ट्रीफूगल पम्प	आई0एस0: 6595 (पार्ट– I) / 1993 आई0एस0: 9079 / 1989 आई0एस0: 11501 / 1986
4.	प्राईम मूवर या स्पार्क इग्निशन इंजन या इलेक्ट्रीक मोटर	आई0एस0: 11170 / 1985 या आई0एस0: 7347 / 1974 या आई0एस0: 7538 / 1975
5.	सबमर्सिबुल मोटर पम्पसेट	आई0एस0: 8034 / 1993

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के कियान्वयन अनुदेश हेतु लघु जल संसाधन विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।